



इलाहाबाद विकास प्राधिकरण गृह निर्माणार्थ अनुमति-पत्र

(9)

यह अनुमति केवल उ०प्र० नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर मकान बने इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मलिकियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

निम्नलिखित प्रतिबन्धों के आधार पर अनुमति दी जाती है कि श्रीमती / श्री शिव कुमार गुता

पिता /पति का नाम श्री
मुहल्ला जाली पास नाली न० 9/9 एण्ड 9A/9 काश्मिर रोड राउन्ड
स्कीम इलाहाबाद वाई नम्बर
में नक्शे में दर्शित स्थान पर जो प्रार्थना-पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये हैं, सचिव के चिन्हित भवन चित्र के अनुसार निर्माण अथवा पुनः निर्माण करें।


119/प्रकाश (गैर) न० 2/10-11
10.5.11

सचिव
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण
इलाहाबाद


नोट :-

1. यह स्वीकृत पत्र केवल पाँच वर्ष की अवधि के लिए है। यदि भवन का निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुसार नहीं किया जाता है तो उसे गिरवाया जा सकता है। जिसका पूर्ण व्यय भार प्रार्थी पर होगा। यदि कोई इमारत बिना सचिव विकास प्राधिकरण की अनुमति प्राप्त किये निर्माणित अथवा पुनः निर्माणित होगी तो उसके निर्माणकर्ता को दण्ड दिया जायेगा अथवा इस प्रकार की यह अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा तथा सचिव विकास प्राधिकरण द्वारा हटवा दिया जायेगा और उसके हटाने के खर्च का भार उस इमारत बनवाने वाले से 10 प्रतिशत संग्रह शुल्क के साथ वसूल किया जायेगा।
2. इस अनुमति-पत्र में सड़क, गली या नाली पर बढ़ा कर प्राजेक्शन जैसे कि पोर्टिको, बारजा, तोड़िया, सीढ़ी, झाप नये अथवा पुराने निर्माण को तोड़कर उस जगह फिर से नये निर्माण की स्वीकृति चाहे उसके साथ नक्शे में दिखाई भी हो, नहीं प्रदान की जायेगी।
3. मकान निर्माण से यदि नाली के सड़क की पटरी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मकान के अगवाड़े पिछवाड़े अथवा उसके आकार के कारण ढक गई हो) को हानि पहुँचे तो गृहस्वामी तैयार हो जाने पर 15 दिन के भीतर अथवा यदि विकास प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा और शीघ्र कहा तो पहले ही उसे अपने खर्च से मरम्मत कराकर पूर्ववत् अवस्था जिससे विकास प्राधिकरण को सन्तोष हो जाय, में कर देगा।
4. गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 (इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1965) नियम 82 का उल्लंघन किसी भी दशा में न होना चाहिए। यदि विकास प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह ऐसे निर्माण को रोक अथवा हटवा सकता है।
5. प्रार्थी को नियमानुसार विकास प्राधिकरण को मकान की नींव तक तथा छत तक बन जाने एवं उसके पूर्ण हो जाने की सूचना मकान आबाद होने से पूर्व देना होगा तथा उस आदमी का नाम भी देना होगा जिसके निरीक्षण में मकान निर्मित हुआ है।
6. यदि निर्माण में मास्टर प्लान का उल्लंघन होता पाया गया तो निर्माणकर्ता को दी गई स्वीकृति रद्द समझी जायेगी और किया गया निर्माण अनधिकृत घोषित कर उक्त अधिनियम की धारा 27(1) के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।


स्वीकृत मानचित्र की 9 (अ) प्रति
प्रसूचित



GROUND FLOOR PLAN




FIRST FLOOR PLAN




SECOND FLOOR PLAN


प्रतिकल्पक को अलग-अलग होटो का प्रकल्प प्रस्तुत कर प्रस्तावित अतिरिक्त होटो का प्रकल्प प्रस्तुत करने की भी विज्ञापन पर ध्यान देना।
 2) प्रकल्पक परस्पर-विरोधी भी विज्ञापन पर ध्यान देना।
 3) प्रकल्प पर कोई भी अतिरिक्त कार्य प्रकल्पक की जिम्मेदारी में नहीं होगा।




FRONT ELEVATION




TERRACE PLAN




SECTION AT A - B




FOUNDATION




STAIR SECTION




SECTIONAL ELEVATION
Rain Water Harvesting Pit Detail



KEY PLAN
NOT TO SCALE



EXISTING TO BE DEMOLISHED



SITE PLAN 1:200

TOTAL AREA OF PLOT	294.53 SQ. MT.
PROPOSED AREA ON BASEMENT	144.49 " "
PROPOSED AREA ON G. F.	146.94 " "
PROPOSED AREA ON F. F.	146.94 " "
PROPOSED AREA ON S. F.	146.94 " "
OPEN AREA ON G. F.	147.59 " "
OPEN AREA ON F. F.	147.59 " "
OPEN AREA ON S. F.	147.59 " "
MUMITY AREA	21.26 " "
GROUND COVERAGE	49.89 %
F. A. R.	150

SCHEDULE OF DOOR WINDOW & VENT.	
1	DOOR D 1000X2400
2	DOOR D1 900X2400
3	DOOR D2 750X2400
4	WINDOW W 1500X2000
5	WINDOW W1 900X2000
6	VENT. V 750X600
THIS IS CERTIFIED THAT THIS MAP IS ACCORDING TO BUILDING BYE LAWS AND ALLAHABAD MASTER PLAN - 2021	

PROPOSED BUILDING PLAN OF HOUSE NO. 9/9 AND 9A/9 PLOT NO. - 41 CROSSWAITH ROAD HOUSING SCHEME ALLAHABAD
 OWNER - SRI - SHIV KUMAR GUPTA AND SRI - OM PRAKASH GUPTA
 S/O SRI - KANHYA LAL GUPTA
 SCALE - 1:100
 श्री केशव गुप्ता
 श्री अशोक गुप्ता

ATLAS CONSULTANTS (P) 501749
 Architects - Planning, Structural Design
 Estimation, Valuation
 A. P. Singh, Mr. Anand Kumar Singh
 10/11, Crosswaith Road, Allahabad